सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

22 जुलाई, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

सप्तदश विधान सभा
पंचदश सत्र

मंगलवार, तिथि 22 जुलाई, 2025 ई0
31 आषाढ़, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जाएंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

क्वेश्चन आवर है, आपका ही क्वेश्चन है, माननीय सदस्यों का ही प्रश्न है । जनता के हित की बात भी करिए । केवल अपने हित की बात क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान जारी)

बैठिए, जीरो आवर में उठाइयेगा, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए । आपलोग तो अच्छे लोग हैं, काला कपड़ा पहनकर क्यों आ गए हैं ? बैठ जाइये । श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–1 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0–194 आरा)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । इनसे बैनर छीनिए । बैठ जाइये, अच्छा नहीं लग रहा है । काला कपड़ा में आपलोग अच्छे नहीं लग रहे हैं । डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, जनता देख रही है कि आपलोग क्या व्यवहार कर रहे हैं । अपने स्थान पर जाइये, बैठ जाइये । अपने स्थान पर बैठकर अपनी बात कहिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, खंड–1 स्वीकारात्मक है ।

खंड–2 आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गत वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2025–26 प्रारंभ होने से पूर्व वर्ग 01 से वर्ग 08 के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए जिलों से प्राप्त अनुमानित अधियाचना के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के द्वारा कुल 1,11,16,550 (एक करोड़ ग्यारह लाख सोलह हजार पांच सौ पचास) छात्र–छात्राओं को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को भेजी गई । जिसकी आपूर्ति बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कर दी गयी । सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शत–प्रतिशत पुस्तकों का

वितरण कर दिया गया । इसके उपरांत जिलों से पुनः अतिरिक्त पाठ्य–पुस्तक की अधियाचना के आलोक में कुल 7,92,403 (सात लाख बानवे हजार चार सौ तीन) छात्र–छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । यह हमलोग 31 जुलाई तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे ।

गौरतलब है कि प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन माह अप्रैल से सितम्बर माह की अवधि में होता है । फलस्वरूप नामांकित छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर संशोधित अधियाचना के सापेक्ष सभी नामांकित छात्र–छात्राओं को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु विभाग कृत संकल्पित है ।

3. शैक्षणिक सत्र 2024–25 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व सभी विद्यालयों में पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध करा दी गई थी । शैक्षणिक सत्र 2026–27 में सभी बच्चों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना है । साथ ही आवश्यकता आधारित पाठ्य–पुस्तक को पूरक रूप से भी उपलब्ध कराने पर विभाग सजग रूप से तैयार है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, चुनाव में नारा लगाना पड़ेगा, गला बैठ जायेगा । बैठ जाइये, आपकी बात शून्यकाल में सुनी जायेगी । अवध विहारी बाबू, आप क्यों काला कपड़ा पहन लिये ? आपको तो काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए था ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, इसकी जो सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रखंड स्तर पर पुस्तकों को पहुंचाने के लिए उसको सुनिश्चित करने का काम वह करें । यही हम चाहते हैं ।

अध्यक्ष : अच्छा सुझाव है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, निश्चित रूप से ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–2 (श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, क्षेत्र सं0–109,दरौंदा)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–3 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0–194, आरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : 1– उत्तर अस्वीकारात्मक है।

मई, 2025 से जुलाई, 2025 तक राज्य के सभी जिलों में लगभग 3,13,587 वाहनों का निबंधन परिवहन विभाग द्वारा किया गया है, जिसका डाटा वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है। वर्तमान में संपूर्ण राज्य में मात्र 24 हजार निबंधन का डाटा वाहन सॉफ्टवेयर पर प्रक्रियागत कारणों से लंबित दिख रहे हैं, जिसे निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्यालय द्वारा निष्पादित करने की कार्रवाई की जा रही है।

अवगत कराना है कि वाहन का निबंधन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना प्रावधानित है। स्पष्टतः जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन के निबंधन से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों को कार्यालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा में निबंधन कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई की जाती है।

2– उत्तर अस्वीकारात्मक है।

राज्य में वर्ष, 2018 से वाहन–4.0 सॉफ्टवेयर लागू है, जिसके तहत वाहनों का निबंधन ऑनलाईन किये जाने का प्रावधान है। साथ ही विभागीय अधिसूचना संख्या–1744 दिनांक–04.03.2021 द्वारा सभी वाहन डीलरों को डिजीटल साईन सर्टिफिकेट (डी0एस0सी0) प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसके तहत वाहन के निबंधन हेतु डिजीटल रूप में ऑनलाईन संबंधित अभिलेख जिला परिवहन कार्यालयों में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस हेतु राज्य के सभी वाहन डीलरों को यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड भी विभाग स्तर से उपलब्ध कराया जाता है।

उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होने पर वाहन निबंधन से संबंधित आवेदन नहीं किया जा सकता है।

खंड–3, खंड–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिए ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, क्यों गला खराब कर रहे हैं ? मुझे आप सब की चिंता हो रही है, गला खराब कर कैसे चुनाव में नारा लगाइयेगा ? बैठ जाइये । अमरेन्द्र बाबू, पूरक पूछिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मेरा पूरक यह है कि गाड़ियों को खरीदते समय मालिकों को कई तरह के दस्तावेज दिए गए हैं, गाड़ी के मालिकों के लिए टैक्स सहित अन्य जानकारियों को वाहन पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कुर्सी मत उलटिए, ऐसा मत कीजिए । सभी देख रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : ऐसा नहीं हो रहा है, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है, मैं इसको...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपनी छवि ठीक रखिए, आप सबकी छवि खराब हो रही है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसको स्पष्ट करें कि आखिर यह कैसे अपलोड हो रहा है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ऐसे व्यवहार का जनता के सामने परिचय क्यों दे रहे हैं ?

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,हमारा उत्तर देखा जाय।

1. उत्तर अस्वीकारात्मक है। मई, 2025 से जुलाई, 2025 तक राज्य के सभी जिलों में लगभग 3,13,587 वाहनों का निबंधन परिवहन विभाग द्वारा किया गया है, जिसका डाटा वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है। वर्तमान में संपूर्ण राज्य में मात्र 24 हजार निबंधन का डाटा वाहन सॉफ्टवेयर पर प्रक्रियागत कारणों से लंबित दिख रहे हैं, जिसे निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्यालय द्वारा निष्पादित करने की कार्रवाई की जा रही है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहिए ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अवगत कराना है कि वाहन का निबंधन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना प्रावधानित है।

स्पष्टतः जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन के निबंधन से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों को कार्यालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा में निबंधन कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई की जाती है।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है।

राज्य में वर्ष, 2018 से वाहन–4.0 सॉफ्टवेयर लागू है, जिसके तहत वाहनों का निबंधन ऑनलाईन किये जाने का प्रावधान है। साथ ही विभागीय अधिसूचना संख्या–1744 दिनांक–04.03.2021 द्वारा सभी वाहन डीलरों को डिजिटल साईन सर्टिफिकेट (डी0एस0सी0) प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसके तहत वाहन के निबंधन हेतु डिजिटल रूप में ऑनलाईन संबंधित अभिलेख जिला परिवहन कार्यालयों में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस हेतु राज्य के सभी वाहन डीलरों को यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड भी विभाग स्तर से उपलब्ध कराया जाता है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : यह व्यवहार आपका अच्छा नहीं है । जनता देख रही है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं । जनता के प्रश्नों को सदन में नहीं उठने दे रहे हैं, यह व्यवहार उचित नहीं है । अपने स्थान पर जाइये, शून्यकाल में जो आप कहेंगे, आपकी बात सुनी जायेगी । शून्यकाल में आपकी बात सुनी जायेगी, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, उसके बाद आपकी बात सुनी जायेगी ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1 (श्रीमती मंजू अग्रवाल, क्षेत्र सं0–226,शेरघाटी)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2 (श्री जय प्रकाश यादव, क्षेत्र सं0–46,नरपतगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास का दायित्व बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष इस

हेतु राशि आवंटित की जाती है । चहारदीवारी आदि निर्माण कार्य हेतु संबंधित विद्यालय के द्वारा ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रस्ताव अपलोड किया जाता है ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदा, प्रखंड–नरपतगंज के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण हेतु ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, हमारा पूरक है, कहा गया है कि शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है लेकिन यह बनेगा या नहीं, कब तक बनेगा ? इस संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने शिक्षा पोर्टल पर जितने भी स्कूल हैं 76 हजार से ज्यादा सभी का कर दिया है, अगले तीन से चार महीने में चहारदीवारी को हमलोग प्राथमिकता के आधार पर करा देंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सदन विमर्श की जगह है, शोरगुल की जगह नहीं है ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप शोरगुल करके अपनी छवि क्यों खराब करना चाहते हैं ? जनता देख रही है कि आप सदन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं । आप जनता के हितों के सवाल को नहीं होने देना चाह रहे हैं । इसलिए अपने स्थान पर जाइये, आपकी बात को सुनेंगे लेकिन प्रश्नोत्तर काल के बाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–3 (श्री शकील अहमद खाँ, क्षेत्र सं0–64, कदवा)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–4 (श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र सं0–217, घोसी)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तरांकित प्रश्न सं0–5 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0–09, सिकटा)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तरांकित प्रश्न सं0–6 (श्री मनोज कुमार यादव, क्षेत्र सं0–16 कल्याणपुर)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तरांकित प्रश्न सं0–7 (श्री कुमार शैलेन्द्र, क्षेत्र सं0–152, बिहपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री जनक राम, मंत्री : खंड–1 स्वीकारात्मक ।

खंड–2 : वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर विधान सभा के बिहपुर प्रखंड अंतर्गत लत्तीपुर उत्तर पंचायत के वार्ड–13 में मुशहरी टोला में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल योजना सभी अनुसूचित जाति परिवारों के घरों में पीने के पानी हेतु नल का कनेक्शन उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त उक्त टोला में पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या

में सरकारी चापाकल अधिष्ठापित है । अनुसूचित जाति परिवारों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ।

खंड–3 : अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वार्ड–13 में मुशहरी टोला में वित्तीय वर्ष–2010–11 में प्राक्कलित राशि 4,25,700/– रुपये की लागत से सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का निर्माण भवन निर्माण विभाग, पटना से तकनीकी अनुमोदन उपरांत विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में अभिकर्ता संबंधित पंचायत के विकास मित्र द्वारा किया गया था । इस योजना में भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा अनुमोदित नक्शा में एक बृहत् चबूतरा पर छत में स्टील स्ट्रक्चर का ही प्रावधान था, न कि कंक्रीट से ढलाई का ।

खंड–4 : उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

टर्न–2/अंजली/22.07.2025

अध्यक्ष : श्री कुमार शैलेन्द्र, पूरक पूछिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : टेबल मत पलटिए, कर्मचारियों से क्या झगड़ा आपको है, विधान सभा के कर्मचारियों से क्या झगड़ा आपका है ? बताइए । चोट उनको लगेगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री कुमार शैलेन्द्र : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहपुर विधान सभा का हमारा लत्तीपुर उत्तर पंचायत का यह महादलित टोला है महोदय ..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : क्यों जोर लगा रहे हैं रामबली बाबू बुढ़ापे में, सब बाल उजला हो गया, बुढ़ापा में जोर लगाइएगा तो चोट लग जाएगी, पैर टूट जाएगा, फिर हम ही को आपका इलाज कराना पड़ेगा । बैठ जाइए ।

(व्यवधान जारी)

श्री कुमार शैलेन्द्र : और 72–73 घर ऐसे हैं जिनको शौचालय और पीने का पानी नहीं है और एक सामुदायिक भवन बना हुआ है, उस सामुदायिक भवन में छत नहीं है महोदय ।

अतः माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उस सामुदायिक भवन को फिर से जीर्णोद्धार कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : बैठिये ।

माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।

श्री जनक राम, मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर विधान सभा के बिहपुर प्रखण्ड के लत्तीपुर उत्तर पंचायत के वार्ड नंबर–13 में मुशहरी टोला में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पी0एच0ई0डी0) द्वारा संचालित

हर घर नल का जल योजना सभी अनुसूचित जाति परिवारों के घरों में पीने के पानी हेतु नल का कनेक्शन उपलब्ध है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : चीफ होकर क्या कर रहे हैं आप ? मुख्य सचेतक होकर यही काम करते हैं अच्छा लगता है आपको ? बताइए, जिम्मेवार पद पर काम कर रहे हैं आप । आप क्यों अपना परिचय खराब करना चाहते हैं ? बैठ जाइए–बैठ जाइए ।

श्री जनक राम, मंत्री : इसके अतिरिक्त उक्त टोला में पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में सरकारी चापाकल अधिष्ठापित है । अनुसूचित जाति परिवारों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराये जा रही है ।

खंड–ग में वार्ड–13 में मुशहरी, जो माननीय विधायक जी का प्रश्न है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : गुस्सा करने से बी0पी0 हाई हो जाता है । तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, बैठिये । अभी चुनाव भी लड़ना है ।

(व्यवधान जारी)

श्री जनक राम, मंत्री : उसके तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राक्कलित राशि 4,25,700/–रूपये की लागत से सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन उपरांत विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में अभिकर्ता संबंधित पंचायत के विकास मित्रों के द्वारा किया गया था । इस योजना में भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा अनुमोदित नक्शा के माध्यम से एक वृहत् चबूतरा पर छत में स्टील स्ट्रकचर (Roof Truss) का ही प्रावधान था, कंक्रीट का नहीं था । मानक के अनुरूप जो काम था वह हुआ है । धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : देखिए, कितना बढ़िया से वीरेन्द्र जी अपनी सीट पर खड़े हैं । आप लोग जाइए, अपनी सीट पर खड़े होइए । बढ़िया काम कर रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह जो मानक के अनुरूप बना हुआ था वह सही है, बना है लेकिन वह अभी जर्जर हो गया है, वहां पर रहने लायक नहीं है । पूरा जीर्ण–शीर्ण उसका छत हो गया है । मेरा तो यही पूछना है माननीय मंत्री महोदय से...

अध्यक्ष : मंत्री जी, उसको दिखवा लेंगे, आप बैठ जाइए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : कि क्या वह फिर से ढलाई करवाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : बैठिये न, मंत्री जी दिखवा लेंगे उसको ।

माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार रौशन ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–8 (श्री राकेश कुमार रौशन, क्षेत्र सं0–174, इस्लामपुर, नालन्दा)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्या, श्रीमती मीना कुमारी ।

तारांकित प्रश्न सं0–9 (श्रीमती मीना कुमारी, क्षेत्र सं0–34, बाबूबरही)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । श्रीमती मीना कुमारी जी का प्रश्न है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुतः चेथरू महतो जनता महाविद्यालय, दोनवारी हट, बाबूबरही प्रखंड में अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि चेथरू महतो जनता महाविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक भवन एवं शैक्षणिक परिसर तेघरा पंचायत एवं बाबूबरही प्रखंड के अंतर्गत ही है । महाविद्यालय के किसी भी प्रशासनिक कार्य में खुटौना प्रखंड की भूमिका नहीं होती है । यह महाविद्यालय एक बड़े ग्रामीण क्षेत्र को आच्छादित करता है, जिसमें बाबूबरही प्रखंड के अतिरिक्त लदनियाँ, खुटौना, लौकही आदि प्रखंडों के छात्र–छात्राएँ अध्ययन हेतु नामांकित होते हैं ।

3. चूंकि बाबूबरही प्रखंड में पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित है, इसलिए वर्तमान में यहाँ डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : हो गया । क्यों जोर लगा रहे हैं टेबल पर । जोर लगाना है तो विधान सभा क्षेत्र में जाकर लगाइए, यहां जोर लगाकर क्या मिलने वाला है ?

(व्यवधान जारी)

क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं कि सदन नहीं चले ? जनता के हित का सवाल विधान सभा में नहीं खड़ा हो, क्यों शोरगुल करना चाहते हैं आप ? आपमें से किसी एक आदमी को बोलने के लिए देते हैं, पहले बैठाइए सबको, बोलिए कोई एक आदमी, पहले बैठिये । बैठाइए सबको, बोलने के लिए देंगे, बोलने के लिए समय देने के लिए हम तैयार हैं, बैठिइएगा तब न, कैसे बोल देंगे।

(व्यवधान जारी)

मेरी बात सुनिये न, मेरी बात को सुनिए न, सुन तो लीजिए न । मैं आपको बोलने के लिए अनुमति देना चाहता हूं, सबको बैठाइए और बोलिए । बैठाइए पहले, तब न होगा । वेल में खड़ा होकर कैसे हो सकता है, बताइए आप । बैठाइए, मैं अनुमति देता हूं पहले बैठाइए, ऐसे कैसे होगा ?

(व्यवधान जारी)

पहले आप अपनी सीट पर जाइएगा तब न बोलने के लिए देंगे, ऐसे कैसे बोलने देंगे बताइए । हम अनुमति दे रहे हैं आप बोल नहीं रहे हैं । मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं, पहले बैठाइए सबको ।

(व्यवधान जारी)

नहीं, पहले माननीय सदस्यों को अपनी सीट पर ले जाइए, मैं अनुमति देता हूं आपको, मैं बोल रहा हूं, मैं अनुमति देता हूं, सभी को बैठाइए अपनी जगह पर । बैठाइए ।

(व्यवधान जारी)

वाह, यह कोई विषय नहीं है । आप केवल हंगामा करना चाहते हैं तो बात अलग है । मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं । पहले आप माननीय सदस्यों को अपनी सीट पर बैठाइए । मैं अनुमति दे रहा हूं । आप बैठाइए पहले उनको सीट पर । ऐसे कैसे हो सकता है ?

(व्यवधान जारी)

वाह ! जनता की बात मैं भी कर रहा हूं लेकिन आपका उद्देश्य बोलना नहीं है, आपका उद्देश्य विषय नहीं है, आपका उद्देश्य केवल हंगामा करना है । मैं अनुमति दे रहा हूं तब भी ऐसा कर रहे हैं आप । बैठाइए । बैठाइए, मैं अनुमति देता हूं। बैठाइए न । आप बैठाइए, मैं अनुमति देता हूं । बैठाइए ।

(व्यवधान जारी)

जनता ने देखा कि आपकी मंशा क्या है ? सदन अनुमति दे रहा है बोलने के लिए आपको लेकिन आप नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि कोई विषय नहीं है आपके पास और आप केवल हंगामा करना चाहते हैं और कोई विषय नहीं है आपके पास । बैठाइए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्या, श्रीमती रेखा देवी ।

तारांकित प्रश्न सं0–10 (श्रीमती रेखा देवी, क्षेत्र सं0–189, मसौढ़ी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कैसे होगा ? अभी होगा ? शून्यकाल में होगा कार्य–स्थगन, अभी नहीं हो सकता है । पहले आप बैठाइए, कोई बात नहीं सुनेंगे आपकी ऐसे हम । हम अनुमति दे रहे हैं तब भी आप नहीं बोलना चाहते हैं, आप केवल हंगामा करना चाहते हैं ? क्या बात कर रहे हैं ?

माननीय सदस्य, श्री राम सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0–11 (श्री राम सिंह, क्षेत्र सं0–4, बगहा)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक । उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय विद्यालय भिड़ारी रेता प्रखंड–बगहा–01 में नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या–500 है । औसत उपस्थिति लगभग 375–400 रहती है, जिसके लिए कुल 5 कमरों में कक्षाएँ संचालित की जाती हैं ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास का दायित्व बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष इस हेतु राशि आवंटित की जाती है । चहारदीवारी आदि निर्माण कार्य हेतु संबंधित विद्यालय के द्वारा ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रस्ताव अपलोड किया जाता है। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भिड़ारी रेता प्रखंड–बगहा–01 के प्रधानाध्यापक द्वारा ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर 03 वर्ग कक्ष, 02 शौचालय निर्माण हेतु अपलोड कर दिया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री राम सिंह जी, पूरक पूछिये ।

श्री राम सिंह : बेतिया में जो विद्यालय है, वहां मध्य विद्यालय के तीन कमरे हैं और 10+2 विद्यालय है और एक कमरा ऑफिस में चला जाता है, दो कमरे में बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं लगभग 700–800 बच्चे हैं । बच्चे वृक्ष के नीचे पढ़ते हैं यह बहुत ही तकलीफ की बात है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राम सिंह : महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं । इसमें लिख दिया गया है कि एक टीन का करकट ऊपर बना दिया गया है और एक बना देने से, यह हाईट कितना है, कुल 25 फीट ऊंचा है ।

अध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप ?

श्री राम सिंह : वहां भवन का निर्माण हो और यथाशीघ्र हो ।

अध्यक्ष : बैठिये आप । माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वह वाजिब है और वहां हमलोगों ने आकलन कराया है और बी0एस0आई0डी0सी0 के माध्यम से अगले पांच से छह महीने में यह कार्य हो जाएगा । जो अभी व्यवस्था की गई है वह बिल्कुल टेम्परेरी थी,...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप बताइए, क्या करें हम, बोलिए ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : परमानेंट नहीं थी । माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले चार से पांच महीने में अन्य विद्यालयों की तरह प्लस–2 विद्यालय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मैं अनुमति दे रहा हूं तब भी आप नहीं बोलना चाहते हैं, इसका मतलब आपका उद्देश्य विषय रखना है नहीं, आप केवल शोरगुल करना चाहते हैं । इतने उदार कौन अध्यक्ष होते हैं बताइए । आसन आपको कह रहा है मैं अनुमति देता हूं और आप बोलना नहीं चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो इनकी चिंता है वह बिल्कुल वाजिब है और वहां पर चार से पांच महीने लगेंगे, अन्य स्कूलों में भी कई जगहों पर ऐसी स्थिति है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे । धन्यवाद महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मुझे पूरी स्थिति समझ में आ गई ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष : बैठ जाइए आप । बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

विषय आपको नहीं रखना है, विषय से कोई रुचि नहीं है, आप केवल हंगामा करना चाहते हैं, आपकी रुचि केवल हंगामा में है । मैं अनुमति दे रहा हूं तब भी नहीं बोल रहे हैं आप, अब क्या चाहिए ? सारा प्रदेश देख रहा है, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है कि अध्यक्ष कि अनुमति के बाद भी आप नहीं बोलना चाहते हैं, विषय नहीं रखना चाहते हैं, केवल शोरगुल करना चाहते हैं, यह पूरा प्रदेश देख रहा है ।

(व्यवधान जारी)

श्री राम सिंह : अध्यक्ष जी,...

अध्यक्ष : बैठिये न ।

माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–12 (श्री राम रतन सिंह, क्षेत्र सं0–143, तेघरा)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–13 (श्री देवेश कान्त सिंह, क्षेत्र सं0–111, गोरियाकोठी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल–38 राजकीय अभियंत्रण महविद्यालय संचालित है । वर्तमान में नियमित प्राचार्य की कुल संख्या–12 है । प्राचार्य के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना प्रेषित की गई है । आयोग स्तर पर कार्रवाई की जा रही है ।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, अरवल/सिवान/खगड़िया/गोपालगंज में सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदस्थापित नहीं हैं । अतएव, कार्यकारी व्यवस्था के रूप में उक्त महाविद्यालयों में प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन हेतु सहायक प्राध्यापक को प्राचार्य के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार दिया गया है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली, मुंगेर, जमुई, नवादा एवं मधुबनी में नियमित प्राचार्य पदस्थापित नहीं हैं ।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय मुंगेर, नवादा एवं मधुबनी में तकनीकी संकाय के प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक कार्यरत नहीं हैं । ऐसी स्थिति में गैर तकनीकी संकाय में पदस्थापित सह–प्राध्यापक को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन हेतु प्राचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार दिया गया है ।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली में तकनीकी संकाय के प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक पदस्थापित नहीं हैं । अतएव गैर तकनीकी में पदस्थापित प्राध्यापक को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन हेतु प्राचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार दिया गया है ।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई में तकनीकी संकाय में मात्र सह–प्राध्यापक (असैनिक) एवं गैर तकनीकी संकाय में प्राध्यापक (रसायन) कार्यरत हैं । प्राध्यापक उच्चतर पदभार है । अतः उन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन हेतु प्राचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार दिया गया है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 38 राजकीय अभियंत्रण महविद्यालय संचालित हैं । वर्तमान में नियमित प्राचार्य की कुल संख्या–12 है । प्राचार्य के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है । आयोग स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की नियमित प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत कार्यकारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, देवेश जी ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय,

अध्यक्ष : माईक पर बोलिए । पूरक पूछिये ।

श्री देवेश कान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अरवल, सीवान, खगड़िया, गोपालगंज इत्यादि इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, जबकि उससे अनुभवी कर्मी अनेकों प्रकार के उपलब्ध हैं और इन लोगों के द्वारा भी बहिष्कार भी किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, उत्तर स्पष्ट दिया हुआ है ।

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय,...

अध्यक्ष : देवेश जी, बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी, दिखवा लेंगे । बैठिये ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, उत्तर स्पष्ट है, उत्तर दिया हुआ है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मुझे लगता है कि आपकी कोई रुचि विधान सभा चलाने में नहीं है, आपकी रुचि स्थगित करने में है और कुछ नहीं है लेकिन मैं बार–बार कह रहा हूं, मैं बोलने की अनुमति देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि विषय रखिए आप, लेकिन आप लोग केवल हंगामा कर रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–3 / पुलकित / 22.07.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आज हमलोगों के द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है और यह विषय बिहार के वोटरों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं वोटरों से हम चुनकर के यहां विधान सभा में पहुँचते हैं । बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है यह हमलोग हरगिज होने नहीं देंगे । जो एस0आई0आर0 है, हम बड़ी विन्रमता से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उन्हीं वोटरों से चुनकर के आते हैं । सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटरों से चुनकर के आते हैं । जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा अपनायी जा रही है । यहां सत्तापक्ष के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय, हम चाहेंगे कि कार्यमंत्रणा की बैठक बुलाई जाये और विशेष तौर पर एस0आई0आर0 पर बिहार विधान सभा में इसकी चर्चा कराई जाए ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : यह विनम्रता से आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष : बैठा जाए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, इस पर हम चाहेंगे कि चर्चा कराई जाए किसी और दिन, बिल वगैरह तो आता रहेगा लेकिन जब हमारे वोटरों का नाम कट जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस लोकतंत्र का ।

अध्यक्ष : बैठा जाए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और यहां अगर हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो हम कहां चर्चा करेंगे ? यह भी आप बता दीजिए ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । वैसे नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रथम पाली की बैठक हो रही थी । लोग इस सदन में वेल के अंदर आये थे ।

(व्यवधान)

आप बैठिये न । आप सुनिये मेरी बात को । दूसरे की भी बात सुना कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

मैंने आपके सदस्य को कहा था कि आप अपनी बात को रखिये मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ । लेकिन मुझे खेद है कि उस समय आपके सदस्य नहीं सुने, वेल में थे और लोगों ने अपनी बात नहीं रखी ।

(व्यवधान जारी)

बैठिये न । अब बहस नहीं होगी, बैठिये । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी का बिजनेस होने दीजिए आगे विचार करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड–2 में दो संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

पोस्टर हटाइये । पोस्टर हटा लीजिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

(व्यवधान जारी)

गलत काम. नहीं करिये, सीमा में रहिये । सब लोग नियम का पालन करिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इस विधेयक पर कुछ बोलना चाहेंगे ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक जब पास होगा तो इससे सरकार को सीतामढ़ी में मंदिर बनाने में सुविधा होगी और नई न्यास समिति गठित हो जाएगी तो उस न्यास समिति के माध्यम से सरकार वहां भव्य मंदिर का निर्माण करा पायेगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

धक्का–धुक्की नहीं करिये । धक्का–धुक्की नहीं करिये । किसी कर्मचारी को चोट लग जाएगी । यह आचरण बिल्कुल गलत है आपका, कहीं से भी आपका आचरण अनुकूल नहीं है । लोकतंत्र में यह नहीं चलता है । लोकतंत्र संवाद के माध्यम से चलता है, विमर्श के माध्यम से चलता है । सरकारी बिल आया है, आपने संशोधन दिया है । अपनी बात संशोधन के माध्यम से कहिये, आपको बोलने के लिए कौन मना करता है ।

<u>बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के संबंध में एक संशोधन की सूचना दी है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मुझे कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य मत करिये । प्लीज, मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर चले जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, दरअसल मुद्रण भूल के कारण इस विधेयक के नाम में शब्द ''संशोधन'' के स्थान पर ''प्रथम संशोधन'' हो गया है । इसे बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025 के स्थान पर बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पढ़ा जाए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी, चूँकि यह विधेयक बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025 के रूप में आया है और प्रचारित हुआ है, इसलिए वह इसी रूप में पुरःस्थापित होगा । विधेयक के खंडशः संशोधन के क्रम में जब विधेयक के नाम पर सदन की सहमति ली जाएगी, उस समय आपके संशोधन को प्राथमिकता दी जाएगी और सदन की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

(व्यवधान जारी)

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक के जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025 का नाम संशोधित करते हुए ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025'' किया जाए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नीचे उतरिये । यह क्या कर रहे हैं ? आप लोगों को चोट लग जाएगी । माननीय सदस्य, आपलोगों को चोट लग जाएगी । आपलोग यह क्या कर रहे हैं और बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं आप । पूरा बिहार देख रहा है आपके चलन को, पूरा बिहार देख रहा है इस प्रकरण को कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं इस लोकतंत्र के मंदिर में ।

टर्न–4/अभिनीत/22.07.2025

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025 का नाम संशोधित करते हुए बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 किया जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक का नाम संशोधित हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

महोदय, इसलिए कि इसमें जो संशोधन है, भारत सरकार की जीएसटी काउंसिल ने जो सहमति दी है मात्र यह क्लेरिफिकेशन है । इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इसकी स्वीकृति दी जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान जारी)

पूरे लोकतंत्र के प्रति, पूरा बिहार देख रहा है कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है । लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित मत कीजिए । अपने स्थान पर जाइये ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर बैठिए ।

यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

(व्यवधान जारी)

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यों को चोट लग जायेगी, क्यों ऐसा कर रहे हैं ? आप अपने साथी को चोटिल करना चाहते हैं ? अपने साथी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ? आपकी पार्टी के अंदर यही लोकतंत्र है ? क्या यही तरीका है ? आपलोग अपने–अपने स्थान पर जाइये । कर्मचारियों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ? कर्मचारियों को आप क्यों घायल करना चाहते हैं ?

माननीय सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड–2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–3 मे दो संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–3 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

इससे आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ने वाली है । जनता सब देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं ।

खंड–4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–5 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

महोदय, इसमें हमने जो मुख्य पार्षद हैं, मेयर हैं उनको ज्यादा स्वायत्तता देने का काम किया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस विधेयक के अंग बने।

खंड–11 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–12 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–12 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–12 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–13 एवं 14 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–13 एवं 14 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–13 एवं 14 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

टर्न–5/हेमन्त/22.07.2025

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इसलिए लाना पड़ा कि नगर पालिका क्षेत्र में भी अब विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम चलेगा। भारत सरकार इसको करने वाली है जिसमें 6 शहर बिहार के भी हैं। इसीलिए इस संशोधन को लाया गया है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान जारी)

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन), विधेयक,2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन), विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन)(संशोधन), विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

(व्यवधान जारी)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन), विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम–122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधानजारी)

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन), विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूं।

खंड– 2, 3 एवं 4 में कोई संशोधन नहीं है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

(व्यवधान जारी)

आपके दल का आचरण दिखायी पड़ रहा है। पूरे बिहार की जनता देख रही है कि आपके दल का आचरण क्या है, लोकतंत्र में कितनी आस्था आपकी है ।

चोट लग रही है, देखिए गिर रहा है । कर्मचारी को चोट लग रही है, समझ नहीं आ रहा है आपको, क्या दोष है उनका ?

(व्यवधान जारी)

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन), विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष महोदय, पूर्व में सम्परिवर्तन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी भी कर सकते थे, अब नए बिल के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन), विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन), विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान जारी)

<u>बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2025</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्ता के अधिकार का अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्ता के अधिकार का अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2025 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

(व्यवधान जारी)

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्ता के अधिकार का अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्ता के अधिकार का अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडशः लेता हूं। खंड–2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड–4 में एक संशोधन है।

क्या माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–4 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–4 इस विधेयक का अंग बना।

खंड–5 में एक संशोधन है।

क्या माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–5 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–5 इस विधेयक का अंग बना।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री संजय सरावगी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्ता के अधिकार का अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्ता के अधिकार का अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''बिहार भूमिगत पाइप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्ता के अधिकार का अर्जन)(संशोधन) विधेयक, 2025 स्वीकृत हुआ।''

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।

(व्यवधान जारी)

अरे, चोट लग जायेगी, चोट लग जायेगी । क्या कर रहे हो ? अरे, चोट लग जायेगी।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,मैं बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 एवं बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 की एक–एक प्रति को सदन पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।